न्यायालय उप तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी – राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का कुण्डरी

बनाम

अप्रार्थी – हिम्मतसिंह/नाथूसिंह निवासी कुण्डरी अन्तर्गत धारा 91 भू.राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 107 / राजस्व 2018 निर्णय दिनांक 9.10.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुण्डरी ने अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सम्वत् 2075 में सरहद कुण्डरी के खसरा नम्बर 179 में किस्म गै.मु. बाड़ा में से रकबा 0.0410 हेक्ट. भूमि में डोली व बाड़ लगाकर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को धारते अजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी हिम्मतसिंह से नोटिस तामील होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी / अधिवक्ता श्री — ने दिनांक — को उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवम निरीक्षक भू.अ. द्वारा प्रमाणित हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थी का ग्राम कुण्डरी खसरा नम्बर 179 ने किस्म गै.मु.बाड़ा में से रकबा 0.0410 हेक्ट. भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 16/– रूपये प्रति हेक्ट. की दर से अतिक्रमित रकबा 0.0410 हेक्ट.भूमि के 0.656 रूपये लगान का 50 गुणा 33/– अक्षरे तेतीस रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कार्यालय व वसूली हेतु लिखा जावे । पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से नैतिक रूप से बेदखल कर इजराय की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 9.10.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप तहसीलदार पीलवा

जिला नागौर